

01 $\frac{12}{25}$

मूल वाद के साथ उक्त पत्रवली आज सुनवाई पर ली गई। मूल वाद जरिये पिछोवला खारिज हो चुका है। जिससे उक्त T.I. प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाने से उक्त T.I. प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रवली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

सविना

जमना

Identified by me

ज २८ अक्ष
1/12/2024

सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली